BRJE010031342020

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनु.जा./अनु.जन.जा.), जहानाबाद। उपस्थितः– अरुण कुमार शर्मा विशेष अनु.जा./अनु.जन.जा. वाद संख्या – 285/2025 (सम्बंधित घोषी थाना कांड संख्या 597 सन् 2024)	
सूचक	राज्य द्वारा :– शैलेन्द्र कुमार, पिता स्व0 जगदीप यादव, साकिन अफजलपुर , थाना पाली, जिला जहानाबाद।
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन की तरफ सेः– श्री राकेश कुमार, प्रभारी विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्त	1. राजेश कुमार, उम्र 26 वर्ष, पिता शत्रुधन यादव,
द्वारा प्रस्तुत	अभियुक्त की तरफ सेः– श्री राकेश कुमार रवि विद्वान अधिवक्ता।
घटना की तिथि	10-12-2024
प्राथमिकी की तिथि	11-12-2024
आरोप पत्र की तिथि	20-05-2025
आरोप विरचना की तिथि	16-07-2025
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	21-07-2025
निर्णय तय करने की तिथि	11-03-2026
निर्णय की तिथि	26-03-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	-

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्तगण का रैंक	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छुटने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0सं0 के प्रयोजनों के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
ए–1	राजेश कुमार	24.02.2025	18.08.2025	धारा 80/3(*5*) *एवं* 238/3(5) B.N.S	दोषमुक्त	–	–

साक्ष्य का परिशिष्ट

अनुक्रमणिका

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के गवाहों की सूची–

A. अभियोजन :–

रैंक	नाम	गवाह की प्रकृति (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सा गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी. डब्लू. 1	शैलेन्द्र कुमार	सूचक
पी. डब्लू. 2	धमेन्द्र कुमार	अन्य गवाह
पी. डब्लू. 3	दिनेश प्रसाद यादव	अनुसंधानक
पी. डब्लू. 4	पुनम देवी	अन्य गवाह

B. बचाव पक्ष साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

C. न्यायालय साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शो की सूची

A. अभियोजन प्रदर्श :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.1/ पी. डब्लू. 1	अभियोजन साक्षी संख्या 01. शैलेन्द्र कुमार द्वारा लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।
2	प्रदर्श पी.2/ पी. डब्लू. 3	अभियोजन साक्षी संख्या 03 दिनेश प्रसाद यादव द्वारा औपचारिक प्राथमिकी पर तत्कालिन थानाअध्यक्ष घोषी जितेन्द्र कुमार के लिखावट एंव हस्ताक्षर की पहचान की गई।
3	प्रदर्श पी.3/ पी. डब्लू. 4	अभियोजन साक्षी संख्या 03 दिनेश प्रसाद यादव द्वारा प्राथमिकी आवेदन के पृष्ठाकंन पर तत्कालिन थानाअध्यक्ष घोषी जितेन्द्र कुमार के

		लिखावट एंव हस्ताक्षर की पहचान की गई।
4	प्रदर्श पी.4/ पी. डब्लू. 4	अभियोजन साक्षी संख्या 03 दिनेश प्रसाद यादव द्वारा प्राथमिकी आवेदन पर अग्रसारण प्रतिवेदन पर तत्कालिन थानाअध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह के लिखावट एंव हस्ताक्षर की पहचान की है।

B. बचाव पक्ष प्रदर्श :– कोई नहीं।
C. न्यायालय प्रदर्श :– कोई नहीं।
D. वस्तु प्रदर्श :– कोई नहीं।

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्व अन्तर्गत धारा 80/3(5), एवं 238/3(5) B.N.S अधिनियम के लिये विचारण किया गया है।

2. प्राथमिकी के अनुसार, संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचक, अपनी बच्ची रविता देवी का शादी माह अप्रैल 2024 में ग्राम पखनपुर , थाना–ओकरी, जिला– जहानाबाद में राजेश कुमार के साथ हिन्दु रिति रिवाज से किए थे। दिनांक 10.12.2024 को सूचक को मोवाईल के माध्यम से सूचना मिला कि उनकी बच्ची की मृत्यू हो गई है, तब सभी परिवार आनन फानन में ग्राम पखनपुर पॅहुचे और अपनी बच्ची के घर जाकर देखे तो पता चला कि उनकी बच्ची घर में नही है, एंव उनके घर के जानवर भी नही था। गॉव घर के द्वारा पूछे जाने पर किसी ने कुछ नही बताया, तब सूचक ने थाना पर जाकर अपनी बच्ची के पति–राजेश कुमाार, देवर–राकेश कुमार, सास, ससुर–शत्रुधन यादव, एंव ननद पर केस किया।

3. सूचक द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर घोषी ओकरी थाना कांड संख्या 597/2024, दिनांक 11.12.2024 अंतर्गत धारा 80/238/3(5) B.N.S के अधीन अभियुक्तगण राजेश कुमार, देवर राकेश कुमार, सास, ससुर–शत्रुधन यादव, एंव ननद के विरूद्ध दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के पश्चात प्राथमिकी अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्ध घटना सत्य पाकर अंतिम आरोप पत्र संख्या 75/2025, दिनांक 20.05.2025 अन्तर्गत धारा 80/238(b)/3(5) B.N.S में न्यायालय में समर्पित किया गया, एंव अन्य शेष प्राथमिकी अभियुक्तगण पर पुरक अनुसंधान जारी रखा गया।

4. इस मामले में मुख्य न्यायायिक दंण्डाधिकारी द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्ध अंतर्गत धारा 80/238(b)/3(5) B.N.S में अपराध का संज्ञान लिया गया एंव वाद को दौरा सुपूर्द किया गया।

5. यह अभिलेख इस न्यायाालय में विद्वान सत्र न्यायालय, जहानाबाद के यहॉ से स्थानातरण के पश्चात प्राप्त हुआ। इस मामले में न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 80/3(5) , 238/3(5) बी.एन.एस. में आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिस पर अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया व विचारण की मॉग की गयी।

6. इस मामले में अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के उपरांत, न्यायालय द्वारा धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उपरोक्त अभियुक्त का बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने–आपको निर्दोष बताया। बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

7. प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

मंतव्य

8. इस वाद में अभियोजन पक्ष ने कुल 04 साक्षियों यथा अभियोजन साक्षी संख्या 01. शैलेन्द्र कुमार, अभियेाजन साक्षी संख्या 02. धमेन्द्र कुमार , अभियोजन साक्षी संख्या 03. दिनेश प्रसाद यादव व अभियोजन साक्षी संख्या– 04. पुनम देवी को प्रस्तुत करके परीक्षित कराया है।

अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्श अंकित कराया हैः–

प्रदर्श पी.1/पी. डब्लू. 1 - अभियोजन साक्षी संख्या 01. शैलेन्द्र कुमार द्वारा लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श पी.2/पी. डब्लू. 3 - अभियोजन साक्षी संख्या 03 दिनेश प्रसाद यादव द्वारा औपचारिक प्राथमिकी पर तत्कालीन थानाअध्यक्ष घोषी जितेन्द्र कुमार के लिखावट एंव हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श पी.3/पी. डब्लू. 3- अभियोजन साक्षी संख्या 03 दिनेश प्रसाद यादव द्वारा प्राथमिकी आवेदन पर पृष्ठाकंन तत्कालीन थानाअध्यक्ष घोषी जितेन्द्र कुमार के लिखावट एंव हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श पी.4/पी. डब्लू. 3- अभियोजन साक्षी संख्या 03 दिनेश प्रसाद यादव द्वारा प्राथमिकी आवेदन पर अग्रसारण प्रतिवेदन को तत्कालिन थानाअध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह के लिखावट एंव हस्ताक्षर में होने की पहचान की है।

प्रदर्श पी.5/पी. डब्लू. 3– आरोप पत्र

9. अभियोजन साक्षी सं0 01. शैलेन्द्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि थाना में लिखित आवेदन थाना के चालक ने लिखा था जिसमें मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया है इसे **प्रदर्श –P-1/PW1** अंकित किया जाता है। मेरी बेटी का नाम रविता देवी था। मैंने अपनी बेटी की शादी घटना से 08–10 महिना पूर्व किया था। मेरी बेटी को मरे हुए 04–05 महिना हो गया है। मुझे मेरी बेटी की मृत्यु की सूचना मोबाईल से मिला, सूचना पाकर मैं अपनी बेटी के ससुराल पखनपुर गया, जहॉ बेटी के ससुराल में कोई नहीं था। मेरी बेटी के ससुराल के गॉव वालों से पुछताछ करने पर मैंने पॉच आदमी राजेश मेरा जमाई, शत्रुधन समधीन और उनकी पत्नी, मेरी बेटी के देवर और एक अन्य का नाम पता नहीं है, पर मेरी बेटी की हत्या को लेकर केस किया था। मेरी बेटी का आज तक शव नहीं मिला है। बाद में पता चला कि मेरी बेटी के शव को ससुराल के लोगों ने जला दिया था। आज न्यायालय में राजेश उपस्थित है, जिसे देखकर पहचानता हूॅ अन्य को देखकर पहचान लुॅगा।
बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरी बेटी को बेटी के ससुराल वाले सास, ससुर, ननद व पति कभी भी प्रताड़ीत नहीं करते थे और न हीं दहेज के लिए कभी कहते थे। मेरी बेटी कभी ऐसी शिकायत नहीं की थी। मेरी बेटी को ठीक से ससुराल वाले रखते थे।बाद में पता चला कि मेरी बेटी को डायरिया हो गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। मेरी बेटी की किसी ने हत्या नहीं की थी।लिखित आवेदन को चालक द्वारा पढ़कर नहीं सुनाया गया था, सिर्फ मैंने हस्ताक्षर बनाया था। सभी मुदालय निर्दोष है।मेरी बेटी के ससुराल के गॉव वालों के कहने पर मैंने केस कर दिया था।

10. अभियोजन साक्षी सं0 02. धमेन्द्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना लगभग 6 माह हो गया है। मृतक मेरे गॉव के साला राजेश की औरत थी। राजेश की शादी कब हुई, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। राजेश की पत्नी का नाम मुझे याद नहीं है। मैं जब अपने ससुराल पखनपुर गया तो देखा कि भीड़ लगा हुआ था। वहॉ जाने पर पता चला कि राजेश कि पत्नी मर गयी है। मैं फिर वहॉ से अपने ससुराल चला गया था। इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि राजेश का घर मेरे ससुराल के बगल में है। मुझे अपने ससुराल जगह–जमीन मिली हुई है। मैं अक्सर अपने ससुराल जाता रहता हूॅ , मैंने कभी राजेश को अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते हुए न हीं देखा था और न हीं सुना था। मुझे जानकारी हुई थी कि राजेश की पत्नी की मृत्यु डायरिया से हुई थी।पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। मेरे ससुराल के मुदालय राजेश साला लगते है इसलिए उसे पहचानते है।

11. अभियोजन साक्षी सं0 03. दिनेश प्रसाद यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक 11.12.204 को मैं औकड़ी थाना में ही पदस्थापित था। घोषी थाना कांड संख्या 597/2024 की औपचारिक प्राथमिक को महिला सिपाही प्रीति कुमारी ने

टंकित किया, जिसपर तत्कालीन थानाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार का हस्ताक्षर है, जिसे देखकर पहचानता हूँ इसे **प्रदर्श P-2/PW3** अंकित किया जाता है। शैलेन्द्र कुमार के लिखित आवेदन पर पृष्ठांकन तत्तकालीन थानाध्यक्ष, घोषी जितेन्द्र कुमार के लिखावट व हस्ताक्षर में है, जिसे देखकर पहचानता हूँ, इसे **प्रदर्श P-3/PW3** अंकित किया जाता है। शैलेन्द्र कुमार के लिखित आवेदन पर अग्रसारण प्रतिवेदन तत्कालीन थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह के लिखावट व हस्ताक्षर में है, जिसे देखकर मैं पहचानता हूँ, इसे **प्रदर्श P-4/PW3** अंकित किया जाता है।घोषी थाना कांड संख्या 597/2024 का अनुसंधान का भार ग्रहण किया। वादि का पुनः बयान लिया व गवाह पुनम देवी का बयान लिया। बयान लेने के उपरान्त घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस कांड का घटनास्थल औकड़ी थाना से 05 किमी पश्चिम उत्तर दिशा में ग्राम पखनपुर अभियुक्तगण का मकान है। कांड दैनिकी के पारा 09 में मैंने घटनास्थल का नजरी नक्शा भी बनाया है। इस कांड का घटनास्थल स्थित मकान की चौहददी इस प्रकार है– पूरब में केशव यादव का मिर्ची लगा हुआ खेत, पश्चिम में रामप्रीत यादव का आलु लगा खेत, उत्तर में किशोरी यादव का परती जमीन है व दक्षिण मकान से सटे पश्चिम कोने पर अमरा का पेड़ व सब्जी लगा हुआ खेत। इसी जगह पर घटना घटने की बात गवाह एवं ग्रामीण द्वारा बताया गया। उसके पश्चात गवाह बाल्मीकी प्रसाद व धर्मेन्द्र कुमार का बयान लिया और कांड दैनिकी में अंकित किया। अनुसंधान के दौरान राजेश कुमार की जानकारी हुई की काको मण्डल कारा में है तो निजी वाहन से मंडल कारा काको पहुँचा और कारा अधीक्षक महोदय से अनुमति प्राप्त कर कार्यालय कक्ष में अभियुक्त का सफाई बयान लिया। और केस को सत्य पाकर अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्ध धारा 80, 238(B)/3(5) बी0एन.एस. के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 75/2025 दिनांक 20.05.2025 को समर्पित किया। आरोप पत्र संख्या 75/2025, दिनांक 20.05.2025 मेरे लिखावट व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं देखकर पहचानता हूँ, इसे **प्रदर्श P-5/PW3** अंकित किया जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि घ टनास्थल का मैंने निरीक्षण में गवाहों व ग्रामीणों का नाम अंकित नहीं किया है। मैंने किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान नहीं लिया था। अनुसंधान के पश्चात घटना को सत्य पाकर मैंने आरोप पत्र समर्पित किया। ग्राम पखनपुर में मैंने सभी साक्षियों का साक्ष्य लिया। इस बात का जिक्र मैंने केस दैनिकी में नहीं किया है। केस दैनिकी के पारा 3 में वादी का पुनः बयान का समय व दिनांक अंकित नहीं है। केस दैनिकी के पारा 7 में पुनम देवी के बयान का समय व दिनांक अंकित नहीं किया है। घटनास्थल का निरीक्षण से संबंधित कांड दैनिकी के पारा 9 में भी समय व दिनांक अंकित नहीं किया है। केस दैनिकी के पारा 63 व 64 में गवाहों के बयान का समय व दिनांक अंकित नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है। ऐसी बात नहीं है कि सभी गवाहों का बयान मैंने थाना पर रहकर लिया है।

12. अभियोजन साक्षी सं0 04. पुनम देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मेरी बेटी का नाम रविता कुमारी है, जिसकी शादी हमलोगों के द्वारा राजेश कुमार, ग्राम पखनपुर, थाना औकड़ी, जिला जहानाबाद के साथ आज से करीब एक वर्ष पहले में की थी।

घटना के बारे में 10 माह पहले जानकारी हुई कि मेरी बेटी मर गई है। सूचना पाकर

जब मैं अपनी बेटी के ससुराल गयी तो वहॉ पर कोई नहीं था। मेरे पति ने इस घटना के लिए राजेश कुमार, राकेश कुमार, शत्रुधन यादव, सास व ननद पर मुकदमा किया था। जब अपनी बेटी के ससुराल गई तो पता चला कि मेरी बेटी को मारकर उसके ससुराल वालों ने जला दिया था। आज न्यायालय में अभियुक्त राजेश उपस्थित है जिसे देखकर मैं पहचानती हूॅ। मेरा पुलिस में बयान हुआ था।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरी बेटी की मृत्यु बिमारी होने के कारण हुई थी।मेरी बेटी ने कभी भी अपने पति व ससुराल वालों की शिकायत नहीं की थी। उसके ससुराल वाले उसे अच्छे से रखते थे। मेरी बेटी के ससुराल वाले किसी तरह के दहेज की मांग नहीं करते थे।मेरे पति मेरी बेटी के श्राद्ध कार्यक्रम में भी गये थे। पुलिस मुझसे पुछताछ नही की थी।

13. इस मामले में राज्य की ओर से विद्वान् प्रभारी विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि इस मामले में को अभियोजन द्वारा कुल 04 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अपने साक्ष्यों में घटना का समर्थन किया है, जिससे अभियुक्त द्वारा घटना कारित किए जाने का तथ्य स्थापित हुआ है। अंत में उनके द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

14. अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का अपनी बहस में कहना है कि अभियोजन इस मामले को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। उनके द्वारा बहस में आगे कहा गया कि इस मामले में अभियोजन द्वारा चार साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों ने विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो गया है, तथा इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अभियोजन अपने द्वारा परिक्षीत कराए गए साक्षियों के साक्ष्यों से ऐसा कोई तथ्य नही ला सका है, जिससे अभियुक्त पर आरोपित आरोप स्थापित हो सके। अंत में उनके द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

<u>परिशीलन(Discussion)</u>

15. उभय पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख व उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

16. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित नियम है कि अभियोजन पर यह प्राथमिक दायित्व होता है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें। इस मामले में अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने में कहां तक सफल रहा है इसके लिए अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्यों की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुत मामलें में अभिलेख के परिशीलन से दर्शित होता है कि अभियुक्त पर धारा 80 व धारा 238 बी0एन0एस0 का आरोप विरचित किया गया है।

धारा 80 दहेज मृत्यु के संबध में प्रावधान करती है कि इस धारा के अनुसार, (1) जहॉ किसी महिला की मृत्यू किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यू के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने , दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रुरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरणः– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

धारा 238 अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी की प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देने के संबध में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार, जो कोई यह जानते हुए या यह विष्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप, इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करे या उस आशय से उस अपराध से सम्बन्धित कोई ऐसी इत्तिला देगा, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है,–

(क) यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है, मृत्यु से दण्डनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा।

(ख) और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष क की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा,

(ग) और यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दण्डनीय हो जो दस वर्ष तक की न हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित भांति के कारावास से उतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्धतम अवधि की एक चौथाई तक हो सकेगी या जर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधान के आलोक में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षीयों के साक्ष्य की समिक्षा की जा रही है।

18. साक्ष्य समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम अभियोजन साक्षी संख्या 01. शैलेन्द्र कुमार के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ कि यह साक्षी इस मामले का सूचक है तथा मृतिका का पिता है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी बेटी का नाम रविता देवी था। उसने अपनी बेटी की शादी घटना से 08–10 महिना पूर्व किया था। उसकी बेटी को मरे हुए 04–05 महिना हो गया है। आगे कथन किया है कि उसे उसकी बेटी की मृत्यु की सूचना मोबाईल से मिला, सूचना पाकर वह अपनी बेटी के ससुराल पखनपुर गया, जहॉ बेटी के ससुराल में कोई नहीं था। उसकी बेटी के ससुराल के गॉव वालों से पुछताछ करने पर उसने पॉच आदमी राजेश , शत्रुधन और उनकी पत्नी, बेटी के देवर और एक अन्य का नाम पता नहीं है, पर बेटी की हत्या को लेकर केस किया था। आगे कथन किया है कि उसकी बेटी का आज तक शव नहीं मिला है। बाद में पता चला कि उसकी बेटी के शव को ससुराल के लोगों ने जला दिया था।

जबकी इस साक्षी ने अपने प्रतिपिरीक्षण में मुख्य परीक्षण से विरोधाभासी साक्ष्य दिया है जिससे मुख्य परीक्षण में दिया गया उसका साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में खंडीत हो गया है इस साक्षी ने कथन किया है कि उसकी बेटी के ससुराल वाले सास, ससुर, ननद व पति कभी भी उसकी बेटी को प्रताड़ीत नहीं करते थे और न हीं दहेज के लिए कभी कहते थे। उसकी बेटी कभी ऐसी शिकायत नहीं की थी।उसकी बेटी को ठीक से ससुराल वाले रखते थे। आगे कथन किया है कि बाद में पता चला कि उसकी बेटी को डायरिया हो गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसकी बेटी की किसी ने हत्या नहीं की थी। इस साक्षी ने लिखित आवेदन को पढ़कर सुनाना नही कहा है, तथा सिर्फ हस्ताक्षर करना कहा है। इस साक्षी ने सभी मुदालय को निर्दोष होने तथा गॉव बालों के कहने पर केस करने का कथन किया है।

इस साक्षी के साक्ष्य की समग्र समीक्षा से पाता हूँ कि यह साक्षी इस मामले का सूचक है, परंतु इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण के साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा दहेज की मॉग उसकी पुत्री से करने तथा दहेज की मॉग को लेकर उसे प्रताड़ीत करने के संबध में कोई साक्ष्य नही दिया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बेटी की मृत्यु डायरिया से होने का कथन किया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 04 पुनम देवी जो की इस साक्षी की पत्नी है, अपने साक्ष्य में अपने पति अर्थात इस साक्षी को बेटी के श्राद्ध में भाग लेने का कथन किया है, जो यह दर्शाता है कि अभियुक्त द्वारा मृतिका की लाश को गायव नही किया गया था। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक स्थापित होना नही पाता हूँ।

19. साक्ष्य समिक्षा के क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या– 02 धमेन्द्र कुमार के मुख्य परीक्षण के साक्ष्य में पाता हूँ कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि जब

वह अपने ससुराल पखनपुरा गया तो देखा कि भीड़ लगी हुई थी, वहॉ जाने पर उसे पता चला कि राजेश की पत्नी मर गई है, आगे कथन किया है कि वह फिर वहॉ से अपने ससुराल चला गया था, इसके अलावा उसे कोई जानकारी नही है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में राजेश की पत्नी की डायरीया से मृत्यू हो जाना तथा पुलिस में उसका बयान नही होने का कथन किया है।

इस साक्षी के साक्ष्य के समीक्षा से पाता हूॅ कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नही किया है, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कारित करने का तथ्य स्थापित हो सके। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक स्थापित होना नही पाता हूॅ।

20. साक्ष्य समिक्षा के क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या– 04 पुनम देवी के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूॅ कि यह साक्षी मृतिका की मॉ है, अपने साक्ष्य में कथन किया है कि कि उसकी बेटी रविता कुमारी की शादी राजेश कुमार, ग्राम पखनपुर, थाना औकड़ी, जिला जहानाबाद के साथ आज से करीब एक वर्ष पहले में की थी। घटना के बारे में 10 माह पहले जानकारी हुई कि उसकी बेटी मर गई है। आगे कथन किया है कि सूचना पाकर जब वह अपनी बेटी के ससुराल गयी तो वहॉ पर कोई नहीं था। उसके पति ने इस घटना के लिए राजेश कुमार, राकेश कुमार, शत्रुधन यादव, सास व ननद पर मुकदमा किया था। जब अपनी बेटी के ससुराल गई तो पता चला कि उसकी बेटी को मारकर उसके ससुराल वालों ने जला दिया था।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण किए गए साक्ष्य के समीक्षा से पाता हूॅ कि इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण मे कथन किया है कि उसकी बेटी की मृत्यू बिमारी के कारण हुई थी, उसकी बेटी ने कभी भी अपने पति व ससुराल वालों की शिकायत नहीं की थी। उसके ससुराल वाले उसे अच्छे से रखते थे। उसकी बेटी के ससुराल वाले किसी तरह के दहेज की मांग नहीं करते थे। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि उसके पति बेटी के श्राद्ध कार्यक्रम में भी गये थे। पुलिस उससे पुछताछ नही की थी।

इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य से दर्शित होता है कि इस साक्षी ने घटना के संबध में विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना का साबित होना स्थापित नही हो रहा है। इस साक्षी के द्वारा बेटी की मृत्यू के पश्चात अपने पति का जो कि इस मामले का सूचक है, बेटी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने का कथन किया है, जिससे यह दर्शित होता है कि मृतिका की मृत्यु व मृत्यु के पश्चात की जाने वाली कार्यवाही की पूर्ण जानकारी सूचक को थी, तथा मृतिका की लाश को कही गायव नही किया गया था। इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नही है जिससे अभियोजन कथानक स्थापित हो सके।

21. साक्ष्य समिक्षा के अंतिम क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या– 03 दिनेश प्रसाद यादव के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूॅ कि यह साक्षी इस मामले का अनुसंधानकर्ता है, तथा इस साक्षी ने औपचारिक प्राथमिकी व लिखित आवेदन पर पृष्ठाकंन को तत्कालिन थानाअध्यक्ष जितेन्द्र कुमार के लेख व हस्ताक्षर का

कथन किया है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–2 व पी–3 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में घटनास्थल का निरीक्षण करने तथा घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाने का कथन किया है, तथा अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 75/2025 दिनांक 20.05.2025 को समर्पित करना कहा है, जिसे अभियोजन ने प्रदर्श पी–5 के रूप में साबित किया है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में किसी स्वतंत्र गवाह का बयान नही लेने का कथन किया है।

यह साक्षी औपचारिक प्रकृति का साक्षी है, तथा इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नही आया है जिससे अभियोजन कथानक स्थापित हो सके।

22. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक अवलोकन, परिशीलन व समीक्षा के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि इस मामले में अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध अपने मामले को संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। आपराधिक विधि में अभियोजन कि यह महती जिम्मेदारी होती है कि वह अपने मामले को सभी प्रकार के युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करें। यदि अभियोजन अपने मामले को संदेहों से परे साबित करने में असफल रहता है तो अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है।

23. अतः अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा धारा 80/3(5) , 238/3(5) B.N.S में विरचित आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं, इसलिये उसका बंधपत्र रद्द करते हुए, उसके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

24. कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

लेखापित

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
–सह–
विशेष न्यायाधीश; अनु.जा./अनु.जन.जा.

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
–सह–
विशेष न्यायाधीश; अनु.जा./अनु.जन.जा.

जहानाबाद।
दिनांकः–26.03.2026

जहानाबाद।
दिनांकः–26.03.2026